न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 47/2022

अनवान : –

1. संतोष पुत्री भैराराम पत्नी कुलदीप जाति नायक निवासी डूंगराना त0 भादरा।

प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट</u>

उपरिथति :–श्री महेन्द्र जागीड़ **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 07.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डुगंराना के खाता सं0 331/497 के खसरा सं0 242, 442/1 की कुल 9.6110है0 में प्रार्थीया का 1202/9611 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम माड़ी पुत्री भैराराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम संतोष पुत्री भैराराम है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों में सही नाम संतोष पुत्री भैराराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। व तहसीलदार रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थीया का नाम नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त वाद भूमि में माड़ी पुत्री भैराराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेज में नाम संतोष ही है। अतः प्रार्थीया का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड ,प्रमाण पत्र सरपंच तथा मुताबिक रिपॉर्ट पटवार

हल्का आदि में सही नाम संतोष पुत्री भैराराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा डुगंराना के खाता सं0 331/497 के खसरा सं0 242, 442/1 की कुल 9.6110है0 में प्रार्थीया का 1202/9611 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **प्रार्थीया के नाम माड़ी पुत्री भैराराम की जगह प्रार्थीया का सही नाम** संतोष **पुत्री भैराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** यदि निकट भविष्य में प्रार्थीया के नाम माड़ी पुत्री भैराराम से कोई आपाराधिक रिकार्ड अथवा किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम माड़ी पुत्री भैराराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़